पत्रांक--वि0प्र0सु0मि0सो0 / विविध–48 / 2010 सो0...151

**बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी**

**(सामान्य प्रशासन विभाग)**

प्रेषक,

**डा0 बी0 राजेन्दर,**
अपर मिशन निदेशक।

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी**

पटना, दिनांक– 15 मार्च 2011

**विषय– प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक (Block I.T. Assistant) के नियोजन के सम्बन्ध में।**

**प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक 105, दिनांक 22.02.2011**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के क्रम में कहना है कि जिला स्तर पर प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक (Block I.T. Assistant) का नियोजन प्रक्रियाधीन है। आप अवगत है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 शीघ्र हीं सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जाने वाला है, जिसके अनुपालन एवं अनुश्रवण में Block I.T. Assistant की महती भूमिका होगी। Block I.T. Assistant के नियोजन के संदर्भ में विभिन्न जिलों से कई तरह की पृच्छाएँ की जा रही है। इस सम्बन्ध में कहना है किः–

1. नियोजन में जिलावार राज्य आदर्श आरक्षण रोस्टर का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।
2. औपबंधिक मेधा सूची से रिक्ति के विरूद्ध नियोजन पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से कोटिवार रिक्तियों को भरा जाय।
3. यदि किसी कोटि में अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्ति रह जाती है, तो इसकी कोटिवार संख्या की सूचना एक सप्ताह के अन्दर मिशन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए केन्द्रीकृत रूप से मिशन द्वारा पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
4. प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक का मुख्य कार्य प्रस्तावित Right To Service Act. के कार्यान्वयन में सहायता करना, प्रखण्ड स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे कार्यों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण, जन शिकायत प्रणाली के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण तथा स्थानीय स्तर पर समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य होंगे।
5. चूँकि इनका नियोजन जिला स्तर पर किया गया है, अतः जिला पदाधिकारी प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के नियुक्ति प्राधिकार हैं तथा इनके पदस्थापन, स्थानान्तरण एवं सेवा मुक्त करने आदि का पूर्ण अधिकार उनमें निहित होगा, जिसे आवश्यकतानुरूप मिशन द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

Rajendra

6. Block I.T. Assistant को समेकित रूप से कुल मानदेय ₹8000.00 (आठ हजार) प्रतिमाह का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें कोई भी राशि देय नहीं होगा।

7. इन्हें संविदा पर नियुक्त कर्मियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के 18 जुलाई 2007 को निर्गत परिपत्र के आलोक में अवकाश देय होगा।

8. इनका नियोजन अस्थायी रूप से योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए किया जाएगा। मिशन के निदेश पर आवश्यकता के अनुरूप एवं कार्य संतुष्टि के आधार पर इस अवधि के विस्तार पर विचार किया जा सकेगा।

उक्त के आलोक में सभी प्रखण्डों में Block I.T. Assistant की उपलब्धता दिनांक 25.03.2011 के पूर्व सुनिश्चित कराते हुए, इनके मानदेय के भुगतान हेतु व्यय का आकलन कर राशि की मॉग सम्बन्धी अधियाचना शीघ्रातिशीघ अधोहस्ताक्षरी को भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

BRajendra 15.3.2011

(डा0 बी0 राजेन्दर)
अपर मिशन निदेशक